

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ज्योति देवी एवं अन्य

बनाम

ललन कुमार राय एवं अन्य

2017 का विविध अपील संख्या 441

14 मई, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अपीलकर्ता/दावेदार मुआवजे में वृद्धि के हकदार हैं और यदि हां, तो किस सीमा तक?

हेडनोट्स

मोटर वाहन अधिनियम, 1988---धारा 166, 173---वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ित को मुआवजे की मात्रा---मुआवजे की गणना---विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ताओं/दावेदारों को दिए गए मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए अपील।

निर्णय: जीवन और अंग की हानि की कभी भी समान रूप से क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य दावेदारों को परिवार के सदस्य की हानि के लिए प्रतिपूर्ति दिलाने, कुछ हद तक हानि की भरपाई करने और दावेदारों को उचित सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान करना है---विद्वान न्यायाधिकरण ने सही ढंग से माना है कि मृतक की आयु उसकी मृत्यु के समय 35 वर्ष थी और मृतक की आयु सीमा (31 से 35) के अनुसार लागू गुणक 16 होगा---भविष्य की संभावना के संबंध में, मृतक की मासिक आय का 40% उसकी आय में जोड़ा गया और, चूंकि दावेदारों की संख्या पांच है, उसकी वास्तविक आय का 1/5 भाग कटौती की गई है---अब यह अच्छी तरह से स्थापित है और विवादित नहीं है कि प्रत्येक दावेदार को संघ की हानि प्रदान की जाएगी---चूंकि मृतक 35 वर्ष का था और यह स्थापित नहीं हुआ था कि वह एक स्थायी कर्मचारी नहीं था, इसलिए भविष्य की संभावनाओं के अनुसार 40% का भुगतान किया जाना चाहिए---बिहार सरकार के आदेश के अनुसार, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सभी सर्किल अधिकारी और ब्लॉक अधिकारी द्वारा जारी

किए जाते हैं जो सबसे अधिक विश्वसनीय है और कानून के अनुसार जिस पर विश्वास किया जा सकता है और इसलिए, मृतक के क्षेत्र के सर्किल अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र विश्वसनीय है और उस पर विश्वास किया जा सकता है---मुआवजे की राशि तदनुसार संशोधित की जाती है।

न्याय दृष्टान्त

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेटी एवं अन्य, (2017) 16 एससीसी 680; सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 एससीसी 121; मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम, (2018) 18 एससीसी 130; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर उर्फ सतविंदर कौर एवं अन्य, (2021) 11 एससीसी 780; रोजलाइन नायक एवं अन्य बनाम अजीत साहू एवं अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1901पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

मुख्य शब्दों की सूची

मोटर वाहन दुर्घटना; मृत्यु मुआवजा; मुआवजे की मात्रा; मुआवजे की गणना; मुआवजे में वृद्धि; लागू गुणक; भविष्य की संभावना; संघ की हानि; आय प्रमाण पत्र।

प्रकरण से उत्पन्न

विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-॥ सह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, समस्तीपुर ("विद्वान न्यायाधिकरण") द्वारा दावा मामला संख्या 116/2010 में दिनांक 28. 04. 2016 को पारित निर्णय तथा दिनांक 14.12.2016 को पारित निर्णय।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री शैलेन्द्र कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से: श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता; श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से: श्रीमती अर्चना शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री आलोक शाही, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का विविध अपील संख्या 441

=====

1. ज्योति देवी और अन्य पति- स्वर्गीय उमेश गांधी उर्फ उमेश प्रसाद गांधी,
2. रिया कुमारी, नाबालिग,
3. प्रिया कुमारी, नाबालिग,
4. सिमरन कुमारी, नाबालिग,
5. उज्जवल कुमार, नाबालिग, स्वर्गीय उमेश गांधी उर्फ उमेश प्रसाद गांधी के सभी नाबालिग बेटे और बेटियां
6. महेंद्र प्रसाद, पुत्र स्वर्गीय सचिदा नंद प्रसाद
7. उमा देवी, पति- महेंद्र प्रसाद सभी गाँव- साकरपुरा, पी. एस.- बखरी, जिला- बेगूसराय के निवासी हैं।

... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. ललन कुमार राय एवं अन्य, निवासी ग्राम- पटपुरा, पी.एस.- विभूतिपुर, जिला- समस्तीपुर, वाहन का मालिक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 06 पी/1721 बस है।
2. विधिक प्रबंधक, आईसीआईसीआई, लोम्बैड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लैकनॉव यूपी।
3. श्रीमती शोभा मिश्रा, निवासी ग्राम- देवपुरा, पी.एस.- नावकोठी, जिला- बेगूसराय। बोलेरो का मालिक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर बीआर 9 जी/4581 है।
4. विधिक प्रबंधक, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बंदर बगीचा, बेली रोड, पटना।

... ..प्रतिवादी/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री शैलेन्द्र कुमार, अधिवक्ता
 प्रतिवादी संख्या 2 के लिए : श्री दुर्गेश कुमार सिंह, अधिवक्ता
 श्री अभिजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता
 प्रतिवादी संख्या 4 के लिए : श्रीमती अर्चना शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री आलोक शाही, अधिवक्ता

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

सीएवी निर्णय

दिनांक : 14-05-2025

अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील के साथ-साथ उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील को सुना।

2. यह विविध अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद "एमवी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 173 के तहत अपीलकर्ताओं की ओर से विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश- ॥ सह मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, समस्तीपुर (इसके बाद "विद्वान न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा दावा मामला संख्या 116/2010 में दिनांक 28. 04. 2016 के निर्णय और दिनांक 14.12.2016 के पुरस्कार के तहत अपीलकर्ताओं/दावेदारों को दी गई मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए दायर की गई है।

3. विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि अपीलकर्ता 4,00,000/- रुपए मुआवजे के रूप में प्राप्त करने के हकदार हैं और तदनुसार, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/प्रतिवादी संख्या 2 के कानूनी प्रबंधक और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड/प्रतिवादी संख्या 4 के कानूनी प्रबंधक को आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि का

भुगतान दावा याचिका दायर करने की तारीख से विद्वान न्यायाधिकरण के फैसले की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर करने का निर्देश दिया गया है।

4. न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजा राशि की गणना का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	शीर्ष	गणना	शुद्ध राशि
1	मासिक आय	रु. 100/- * 30	रु. 3,000/-
2.	वार्षिक आय	रु. 3,000/- * 12	रु. 36,000/-
3.	व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए 1/3 कटौती		रु. 12,000/-
4.	मृतक की आयु लगभग 35 वर्ष है 17 का गुणक लागू होता है।	रु. 20,000 * 17	रु. 3,40,000 -
5.	मुआवजे की कुल राशि		रु. 4,00,000 -

5. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 08.07.2010 को रात्रि 08:00 बजे समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना अंतर्गत तूफान चौक पर समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर कोच बस संख्या-BR06P/1721 एवं बोलेरो जीप संख्या-KRG/4581 के चालकों ने तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना कर दी। परिणामस्वरूप बोलेरो जीप में सवार एक यात्री उमेश प्रसाद गांधी गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसी रात सदर अस्पताल, समस्तीपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना से संबंधित मामला अंगारघाट थाना कांड संख्या-31/2010 में दर्ज किया गया था तथा मृतक उमेश प्रसाद गांधी के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल समस्तीपुर में कराया

गया था। मृतक कथित दुर्घटना के समय 35 वर्षीय शिक्षित व्यक्ति था जो कोचिंग संस्थान चलाता था तथा प्रतिमाह 10,000 रुपये कमाता था तथा चूंकि मृतक अनुसूचित जाति का था तथा शिक्षित था, इसलिए उसका भविष्य उज्ज्वल था तथा वह बिहार पुलिस सेवा में नियुक्त होने वाला था क्योंकि उसके पिता पहले से ही पुलिस अवर निरीक्षक थे। मृतक की मृत्यु से दावेदारों को अपूरणीय क्षति हुई है। अकेले उसे 10,000 रुपये से अधिक की आय का नुकसान हुआ है। उसके इलाज पर 10,200 रुपये खर्च हुए। शव लाने तथा अंतिम संस्कार पर 50,000 रुपये खर्च हुए। सांतवना एवं क्षतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपए का दावा किया गया है। दावेदार की पत्नी एवं उसके बच्चे जो क्रमशः विधवा एवं अनाथ हो गए हैं, के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 2.5 लाख रुपए का दावा किया गया है, जिससे कुल राशि 13,60,000 रुपए हो गई है। लेकिन न्यायालय शुल्क अदा न किए जाने की स्थिति में मात्र 5 लाख रुपए का दावा प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए प्रार्थना की गई है कि क्षतिपूर्ति वाद दायर करने की तिथि से 12% वार्षिक ब्याज की दर से दी जाए।

6. इसके अतिरिक्त विपक्षीगण संख्या 2, 3 एवं 4 की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत किये गये हैं। विपक्षीगण संख्या 3 ने लिखित कथन प्रस्तुत किया है कि वह दावेदारगण के दावे को स्वीकार नहीं करता है तथा कहा है कि उसकी बोलेरो जीप का विपक्षीगण संख्या 4 के पक्ष में घटना दिनांक को बीमा कराया हुआ था तथा बीमा प्रभावी था। विपक्षीगण ने यह भी कहा है कि कथित दुर्घटना में उक्त वाहन के चालक की कोई गलती नहीं थी तथा उक्त बस के चालक ने स्वयं ही तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर बोलेरो जीप को दुर्घटनाग्रस्त किया, जिससे विपक्षीगण की बोलेरो जीप बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी तथा कहा गया है कि जबकि यह विपक्षीगण दुर्घटना

के लिए जिम्मेदार नहीं है, केवल विपक्षीगण संख्या 1 एवं 2 ही सम्पूर्ण दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं तथा किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए वे ही जिम्मेदार हैं।

6.i. विपक्षी द्वारा अपने लिखित कथन में यह प्रस्तुत किया गया है कि दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। इस जीप ने भी कथित दुर्घटना को स्वीकार किया है तथा कहा है कि दुर्घटना उनकी बस व बोलेरो जीप के बीच हुई है। अतः इन दोनों वाहनों की बीमा कम्पनियां प्रत्येक को आधा-आधा मुआवजा देने की हकदार हैं। विपक्षी संख्या 4 ने अपने लिखित कथन में कहा है कि दावेदारों का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं है। इस विपक्षी ने भी कथित दुर्घटना को स्वीकार करते हुए कहा है कि यह दुर्घटना उक्त बस एवं बोलेरो जीप की टक्कर के कारण हुई है। अतः इन दोनों वाहनों की बीमा कम्पनियां आधा-आधा मुआवजा देने की अधिकारी हैं। मृतक की आयु का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6.ii. जहां तक मृतक की आय का प्रश्न है, मृतक के बारे में कहा गया है कि वह कोचिंग सेंटर चलाकर दस हजार रुपये प्रतिमाह कमाता था। ऐसी आय की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए दावेदारों को मृतक की आय से संबंधित आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना चाहिए था। कथित दुर्घटना के समय चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, जो बीमा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि मुआवजा देने का कोई आदेश पारित किया जाता है, तो यदि दुर्घटना बीमा की शर्तों का उल्लंघन कर वाहन चलाने के कारण हुई पाई जाती है, तो विपक्षी वाहन स्वामी से भुगतान की गई मुआवजा राशि वसूलने का आदेश दिया जाना चाहिए। अन्य कोई

दस्तावेजी साक्ष्य न होने की स्थिति में पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर द्वारा आंकी गई मृतक की आयु ही मान्य होगी। विपक्षी क्रमांक 2 ने अपने लिखित कथन में कहा है कि दावा किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है।

6.iii. मृतक उमेश प्रसाद गांधी की बस के चालक द्वारा बस को तेज एवं लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित करने के तथ्य से इन्कार किया गया है। इस विपक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपित दोनों वाहनों के चालकों की जिम्मेदारी दोनों वाहनों की संयुक्त लापरवाही के कारण हुई दुर्घटना के लिए आधी-आधी है। दुर्घटना कारित करने वाली बस के चालक को ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह विपक्षी कथित दुर्घटना के लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि पाने का हकदार नहीं है। यदि क्षतिपूर्ति भुगतान का कोई आदेश दिया जाता है तो क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि बीमा की शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप वसूल की जानी चाहिए। दुर्घटना का कारण बने वाहन के मालिक से इसे वसूलने की अनुमति दी जानी चाहिए। मृतक एक बेरोजगार व्यक्ति था। उसके पास आय का कोई साधन नहीं था। मृतक की आयु और आय गलत बताई गई है और ऐसी आय के प्रमाण के अभाव में सांकेतिक आय का चयन करना होगा। यह भी कहा गया है कि दावेदारों द्वारा मांगी गई मुआवजे की राशि बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है।

7. पक्षकारों की ओर से पेश की गई दलीलों और प्रस्तुतियों के आधार पर विद्वान न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए:

i) क्या तैयार किया गया दावा संधारणीय है?

ii) क्या कथित दुर्घटना उक्त बस और बोलेरो जीप के ड्राइवरों की लापरवाही, तेज गति और असावधानी के कारण हुई थी या क्या कथित दुर्घटना दोनों वाहनों के ड्राइवरों की संयुक्त लापरवाही, तेज गति और असावधानी के कारण हुई थी?

iii) मृतक की आय क्या थी और मृतक की मृत्यु के कारण दावेदारों को क्या नुकसान हुआ है?

iv) क्या दावेदार ब्याज सहित मांगी गई क्षतिपूर्ति राशि पाने के हकदार हैं? यदि हाँ, तो कितनी और किससे?

v) क्या दावेदार किसी अन्य राहत के हकदार हैं?

8. दावेदारों ने अपने मामले के समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जहाँ तक दावेदारों की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है, चार गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से दावेदार गवाह संख्या 1 विजय कुमार पोद्दार, दावेदार गवाह संख्या 2 मोहम्मद मकी हसन, दावेदार गवाह संख्या 3 दावेदार ज्योति देवी स्वयं, दावेदार गवाह संख्या 4 महेन्द्र प्रसाद, दावेदार गवाह संख्या 7 मृतक के पिता। इन सभी मौखिक गवाहों ने अपने साक्ष्य में दावेदारों के दावे को प्रमाणित किया है। दावेदारों की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श हैं- अंगारघाट थाना कांड संख्या 31/2010 का अंतिम प्रमाण पत्र, प्रदर्श-2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श-3 मुखिया का प्रमाण पत्र, प्रदर्श-4 प्राथमिकी, प्रदर्श-5 तथा दुर्घटना करने वाले दोनों वाहनों की बीमा पॉलिसी की 5/1 प्रति, प्रदर्श-7 पहचान पत्र, प्रदर्श-8 बीएससी का प्रवेश पत्र, प्रदर्श-9 भारतीय स्काउट एवं गाइड, बिहार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रदर्श-10 भारतीय स्नातक की अंकतालिका तथा प्रदर्श-11 कंप्यूटर शिक्षा का प्रमाण पत्र।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने दावेदारों/अपीलकर्ताओं को अपर्याप्त मुआवजा दिया है, न कि वह मुआवजा जिसके वे कानून के तहत हकदार हैं, इसलिए अब तक का विवादित निर्णय और पंचाट मुआवजे की मात्रा, ब्याज की दर से संबंधित है और कानून की दृष्टि से गलत है तथा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मुआवजे में वृद्धि की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान न्यायालय ने यह मानकर गलती की है कि मृतक 30,000/- रुपये प्रतिवर्ष कमा रहा था, जबकि अंचल कार्यालय, तेघड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अनदेखी की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मृतक की प्रतिवर्ष कमाई 96,000/- रुपये थी, जो रिकॉर्ड में है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विद्वान न्यायालय के लिए अंचल कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र को गलत ठहराने का कोई कारण नहीं है और विद्वान न्यायालय को मुआवजे की राशि की गणना करते समय अंचल कार्यालय, तेघड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भरोसा करना चाहिए था। इसके अलावा सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक कंप्यूटर ऑपरेटर था और 10,000 रुपये प्रति माह कमाता था।

9.i. इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायालय को साक्ष्य अधिनियम की तकनीकीता में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि दावे के मामले का फैसला करते समय इस बात पर विचार करना चाहिए था कि यह लाभकारी कानून है। विद्वान न्यायालय को यह विचार करना चाहिए था कि निष्पक्ष और उचित मुआवजा देते समय यह एक कल्याणकारी कानून है और अति तकनीकी, रहस्यमय शायद, प्रक्रियात्मक झगड़े और उलझनों की कोई भूमिका नहीं है और उचित और उचित मुआवजा देने के सामाजिक उद्देश्य को हराने का आधार नहीं हो सकता है। यह भी प्रस्तुत किया

गया है कि विद्वान न्यायालय को मोटर वाहन अधिनियम के तहत दावा मामले का फैसला करते समय इस बात पर विचार करना चाहिए था कि निष्पक्ष और उचित मुआवजा देना वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के दुख को कम करने और उन्हें सामाजिक बुराइयों के आगे झुकने से बचाने के लिए उचित है। यह केवल उन दावेदारों के लिए सहायता का एक स्रोत है जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है।

9.ii. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायालय को यह मूल्यांकन करना चाहिए था कि सख्त सबूत और सख्त लिंक की आवश्यकता नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायालय को अंचल कार्यालय, तेघरा द्वारा दिए गए प्रदर्श-1 प्रमाण पत्र पर भरोसा करना चाहिए था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि मृतक की कमाई 96,000/- रुपये प्रति वर्ष थी। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायालय ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया और न ही विवादित फैसले में निपटा। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण, मृतक की भविष्य की संभावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आगे यह भी कहा गया है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना के समय मृतक की आयु 35 वर्ष थी, इस मामले के मद्देनजर मृतक की मूल आय का 50% जोड़कर मृतक की भविष्य की संभावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना के समय मृतक की आयु 35 वर्ष थी।

9.iii. विद्वान न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावना का लाभ नहीं दिया है क्योंकि मृतक की आयु 35 वर्ष है, इसलिए *प्रणय सेठी केस (2017) 16 एससीसी 680* में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के

अनुसार 40% भविष्य की संभावना दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्तिगत व्यय कटौती 1/3 के रूप में ली गई थी, जो इस संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार नहीं है, क्योंकि दावेदारों की संख्या पांच है, इसलिए व्यक्तिगत व्यय कटौती 1/5 होगी।

9.iv. उन्होंने आगे कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय को दावा केस दाखिल करने की तिथि अर्थात् 17.08.2010 से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना चाहिए था। **ए.सी.जे.-2594 किशन गोपाल एवं अन्य बनाम लाला एवं अन्य** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर। उपरोक्त मामले में कोई ब्याज नहीं दिया गया है जो कानून के विरुद्ध है और एम.वी. अधिनियम की धारा 171 का उल्लंघन है। इसके अलावा, विद्वान निचली अदालत ने **राजेश बनाम राजबीर सिंह एवं अन्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वैधानिक आर्थिक क्षति को अनुमति दी जैसे कि अंतिम संस्कार व्यय, संघ की हानि और माता-पिता, पत्नी और नाबालिग बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह की हानि।

10. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने कहा कि अपील का वर्तमान ज्ञापन पोषणीय नहीं है और अपील गलत और गलत धारणाओं पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि दावेदार द्वारा आय और आय का स्रोत साबित नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी आय पर विश्वास नहीं किया गया है। आय और शिक्षा के संबंध में प्रमाण पत्र के लेखक ने ऐसी आय की जांच नहीं की है और आय का स्रोत कानून के अनुसार साबित नहीं किया गया है। विद्वान वकील ने उपर्युक्त बिंदु के लिए इस माननीय न्यायालय द्वारा तय **श्याम नाथ साह बनाम**

शंकर कुमार गुसा 2019 6 बीएलजे 628; 2018 0 सुप्रीम (पैट) 987 के फैसले पर भरोसा किया।

10.i. उन्होंने आगे कहा कि दावा की गई 96,000 रुपये की आय कानूनी साक्ष्य के अभाव में अविश्वास की गई है। इस मामले को उस अवधि के दौरान प्रचलित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए विद्वान वकील ने *लक्ष्मी देवी और अन्य बनाम एमडी तब्बार और अन्य* के मामले, जिसे 2008 0 ACJ 1488 में रिपोर्ट किया गया पर भरोसा किया और *कीर्ति और अन्य बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2021 0 ACJ 1* में रिपोर्ट किया गया दावेदार के मामले पर विश्वास नहीं किया गया है क्योंकि रिकॉर्ड पर सामग्री उम्र के संबंध में सुसंगत नहीं है जिसका सटीक अर्थ यह होगा कि दावेदार साफ हाथ से नहीं आ रहे हैं। दुर्घटना की तारीख 08.07.2010 है और उस समय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 87/- रुपये की आय थी।

10.ii. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि जारी किए गए आय प्रमाण पत्र पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मुआवजे की गणना के लिए काल्पनिक आय या न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखा जाएगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *शनिचरी देवी और अन्य बनाम संजय कुमार यादव और अन्य 2012 4 बीबीसीजे 429* में पारित निर्णय पर भरोसा किया; 2012 0 सुप्रीम (पैट) 685 और *दुखनी देवी बनाम शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2019*

0 एसीजे 2691। दावेदार के मामले के अनुसार मृतक सबसे अच्छा एक अकुशल श्रमिक होगा।

10.iii. विद्वान वकील ने आगे कहा कि लागू किया गया गुणक गलत है और उचित गुणक 16 होगा और दावेदारों ने पारंपरिक शीर्ष, ब्याज और भविष्य की संभावना के तहत राशि का दावा भी किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मुआवजा न्यायसंगत होना चाहिए और बोनस नहीं होना चाहिए और यह माना गया है कि भविष्य की संभावना के तहत राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंद्रजीत एवं अन्य, 2024 0 सुप्रीम (जेएंडके) 170 में पारित निर्णय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती रूमी बर्मन एवं अन्य, एमएसी ऐप. 77/2017 में पारित निर्णय पर भरोसा किया।

10.iv. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि 6% ब्याज पहले से भुगतान की गई मूल मुआवजा राशि पर लागू होगा, न कि भविष्य की संभावना या पारंपरिक शीर्ष के तहत राशि पर। प्रणय सेठी (सुप्रा) के मामले में संविधान पीठ ने तीन पारंपरिक शीर्षों पर अनुमति दी है जिसके तहत मुआवजा दिया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान वकील ने प्रतिवादी संख्या 2 यानी आईसीआईसीआई के तर्क को अपनाया है।

11. वर्तमान मामले में, दुर्घटना की घटना और बीमा कंपनी की देयता विवाद में नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष तय किया जाने वाला

एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता/दावेदार मुआवजे में वृद्धि के हकदार हैं और यदि हां, तो किस सीमा तक?

12. मुआवजा शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें नुकसान के लिए दावा शामिल है। अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए दावे में दावेदार न्यायसंगत मुआवजे का हकदार है जो न्यायसंगत और निष्पक्ष होना चाहिए। जीवन और अंग की हानि की कभी भी समान रूप से भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य दावेदारों को परिवार के सदस्य के नुकसान का निवारण करने, कुछ हद तक नुकसान की भरपाई करने और दावेदारों को उचित सीमा तक मुआवजा देने की सुविधा प्रदान करना है।

13. विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक की आयु उसकी मृत्यु के समय 35 वर्ष थी, तदनुसार *नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम प्रणय सेटी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680* और *सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 एससीसी 121* के मद्देनजर मृतक की आयु सीमा (31 से 35) के अनुसार लागू गुणक 16 होगा। भविष्य की संभावना के संबंध में मृतक की मासिक आय का 40% उसकी आय में जोड़ा गया और उसकी वास्तविक आय का 1/5 भाग घटाया गया है। इस संबंध में पक्षों की ओर से कोई विवाद नहीं है। यह अब अच्छी तरह से तय है और विवादित नहीं है कि संघ की हानि प्रत्येक दावेदार को दी जाएगी।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रणय सेठी** (सुप्रा) **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम (2018) 18 एससीसी 130, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर उर्फ सतविंदर कौर और अन्य (2021) 11 एससीसी 780 और रोजलाइन नायक और अन्य अजीत साहू और अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1901** में दिए गए निर्णयों के आधार पर, पारंपरिक शीर्ष के तहत मुआवजे के रूप में निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है:

क्रम संख्या	शीर्ष	गणना	मुआवजे की राशि
1.	संपत्ति का नुकसान	रु. 15,000/- + 10% की वृद्धि दो बार	रु. 18,150/-
2.	कंसोर्टियम का नुकसान	रु. 40, 000/- + दो बार 10 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 3,38,800- (रु. 48, 400/- x 7)
3.	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 15, 000/- + दो बार 10 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 18, 150/-

15. चूंकि मृतक की आयु 35 वर्ष थी और यह सिद्ध नहीं हुआ कि वह स्थायी कर्मचारी नहीं था, इसलिए प्रणय सेठी (सुप्रा) के पैरा 59.4 के अनुसार भविष्य की संभावनाओं के अनुसार 40% का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह देखा गया है कि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित मामले से भिन्न हैं क्योंकि वर्तमान मामले में मृतक के क्षेत्र के सर्किल अधिकारी (राजपत्रित

अधिकारी) द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो विश्वसनीय है और इस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। बिहार सरकार के आदेशानुसार, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सभी अंचल अधिकारी और प्रखंड अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं जो सबसे विश्वसनीय हैं और कानून के अनुसार जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

16. इस प्रकार, देय मुआवजे की कुल राशि इस प्रकार होगी:

क्रम संख्या	शीर्ष	मुआवजा दिया गया
1	वार्षिक आय	रु. 96, 000/- (रु. 8, 000 x 12)
2.	भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि	रु. 1,34,400-(रु. 38, 400 + रु. 96, 000)
3.	1/5 व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती	रु. 26, 880/-
4.	कटौती के बाद वार्षिक आय	रु. 1,07,520 -
5.	गुणक	16.
6.	निर्भरता का नुकसान	रु. 17,20,320-(रु. 1,07,520 * 16)
7.	संपत्ति का नुकसान	रु. 18, 150/-
8.	संघ का नुकसान	रु. 3,38,800 -
9.	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 18, 150/-
10.	कुल मुआवजा	रु. 20,95,420

17. विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 28.04.2016 का निर्णय और दिनांक 14.12.2016 का पुरस्कार दावा याचिका दायर करने की तिथि से आय पर केवल 6% ब्याज के साथ पूर्वोक्त सीमा तक संशोधित माना

जाता है। तदनुसार, इस अपील को विवादित निर्णय और पुरस्कार में पूर्वोक्त संशोधन के साथ निपटाया जाता है।

18. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटाए जाएंगे।

19. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड और कार्यवाही को इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेजे, ताकि आवश्यक अनुपालन हो सके, यदि कोई हो।

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

हर्षिता/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।